

21.08.2023 वाद पुकारा गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री शरतचन्द्र गुप्ता उपस्थित आये। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) प्रत्यर्थी सं.1 की ओर से उपस्थित आये। प्रत्यर्थी सं.7 को जारी नोटिस वापस प्राप्त नहीं। प्रत्यर्थी सं.7 को पुनः नोटिस जारी हो। निगरानीकर्ता द्वारा आवश्यक पैरवी की जाये।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 06.09.2023 को पेश हो।

रीना नेगी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल